

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।

क्रमांक 22/05-1/एम.सी./अराज/05/2025
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11/06/2025

पूनम राजपूत, नर्सिंग ऑफिसर
द्वारा-अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर

विषय:- पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के संबंध में।

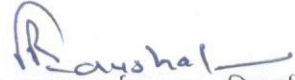
सन्दर्भ:- अनापत्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 877-80/स्था./स्व./अराज./2025 इन्दौर दिनांक 17.01.2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-एफ 2/57/2018/55-1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार बिन्दु -1 से 04 तक के नियम के अन्तर्गत गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से संबंधित चिकित्सालयों में कार्यरत नवीन नियुक्त स्वशासी नर्सिंग ऑफिसर के आवेदन पत्र के अनुक्रम में आपसी सहमती से पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के तारतम्य में कॉलम क्रमांक 3 में अंकित निम्नानुसार नर्सिंग ऑफिसर को मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

क.	चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से संबंधित चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारी का पदनाम एवं चयनित श्रेणी	कॉलम 02 में दर्शाये कर्मचारी जिसके एवज में अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी को नवीन नियुक्ति प्रदान की जानी है का विवरण.
1	2	3
1	श्वेता पटेल, नर्सिंग ऑफिसर (अन्य पिछड़ा वर्ग)	पूनम राजपूत, (अन्य पिछड़ा वर्ग), चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर

अतः मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश दिनांक 30-9-2018 एवं कार्यालयीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों एवं संलग्न चेकलिस्ट अनुसार मूल दस्तावेजों की सूची सत्यापन हेतु दिनांक 19/06/2025 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2 बजे तक गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के एडमिन ब्लॉक में दस्तावेज सत्यापन समिति के समक्ष मूल दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित छायापति एक (01) सेट में फाइल कवर के साथ लेकर स्वयं उपस्थित होंगे।

संलग्न:- दस्तावेज सूची


अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक 22/05-1/एम.सी./अराज/05/2025

भोपाल, दिनांक 11/06/2025

प्रतिलिपि:-

- अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकि० महावि० इंदौर की ओर सूचनार्थ।
- संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल।
- डॉ. हरेसिंह मकवाने, सह प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, दस्तावेज सत्यापन समिति, गां०चि०महावि० भोपाल।
- डॉ. संजीव जयंत, सह प्रभारी, स्थापना अराजपत्रित शाखा क्र. 5 एवं सदस्य, गां०चि०महावि० भोपाल।
- श्री चेतलाल मोहारे, वैज्ञानिक एवं सदस्य, रेडियोथेरेपी विभाग, गां०चि०महावि० भोपाल।
- संबंधित कॉलम नं० 03 पर अंकित नर्सिंग ऑफिसर की ओर भेजकर लेख है कि पारस्परिक अदला-बदली हेतु दस्तावेज सत्यापन समिति के समक्ष चिकि० महावि० भोपाल में निर्धारित दिनांक एवं समय पर स्वयं उपस्थित होंगे।


अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पारस्परिक अदला बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति हेतु नर्सिंग ऑफिसर के दस्तावेज सत्यापन के तहत चाहे गये दस्तावेजों की सूची

क्रं.	दस्तावेज/प्रमाण-पत्र का विवरण	प्रस्तुत दस्तावेज
1	नियम 10 अ के तहत आपसी सहमति आवेदन पत्र की छायाप्रति।	हां/ नहीं
2	कक्षा-10वीं अंकसूची।	हां/ नहीं
3	कक्षा-12वीं अंकसूची।	हां/ नहीं
4	बी.एस.सी.नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित की अंकसूची	हां/ नहीं
5	बी.एस.सी.नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित की डिग्री।	हां/ नहीं
6	नर्सिंग काउंसिल का पंजीयन प्रमाण-पत्र।	हां/ नहीं
7	आरक्षित श्रेणी/आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र (डिजिटल अनिवार्य)	हां/ नहीं
8	मूल निवासी प्रमाण पत्र।(डिजिटल) अनिवार्य है।	हां/ नहीं
9	अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग हेतु आय प्रमाण-पत्र। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का संलग्न करें। डिजिटल अनिवार्य।	हां/ नहीं
10	अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)	हां/ नहीं
11	प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रति।	हां/ नहीं
12	शपथ-पत्र(100 रु. में)(नवीन नियुक्ति प्रदान किये जाने पर भविष्य में वरिष्ठता हेतु मांग न करने के संबंध में।)	हां/ नहीं
13	आधार कार्ड/पेन कार्ड।	हां/ नहीं
14	एवं समस्त अन्य आवश्यक दस्तावेज।	हां/ नहीं

अधिष्ठाता द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

1. ना घटना/ना जांच/ना मांग (NO DUES) प्रमाण पत्र।
2. कोई भी न्यायालयीन प्रकरण/विभागीय जांच, प्रकरण लंबित न होने का प्रमाण पत्र।
3. चरित्रावली एवं कार्य संतोषजनक का प्रमाण पत्र।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

मो.नं.....